(11)

वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/ 4417

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एडं पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 1015 दि. 7.8.08

आदेश

विषयः कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"।

कृषि क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार बढ़ाने से विद्युत खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आवंटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमें अनाधिकृत भार वृद्धि से कमी एवं विसंगतियॉं उत्पन्न हो रही है तथा राजस्व की हानि भी हो रही है।

कृषि उपभोक्ता यदि अपने कनेक्शन में अनाधिकृत भार वृद्धि की स्वैच्छिक घोषणा करने का इच्छुक है तो ऐसे उपभोक्ताओं से कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी तथा बढ़े हुए भार के लिये मात्र धरोहर राशि लेकर भार को नियमित कर दिया जाएगा। उपभोक्ता की बिलिंग बढ़े हुए भार के अनुसार तुरन्त चालू कर दी जायेगी।

"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के तहत एक कुएं पर अतिरिक्त मोटर एवं उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में दूसरे कुँए पर अन्य मोटर लगाकर स्वीकृत भार में अनाधिकृत भार वृद्धि करता है तो ऐसे उपभोक्ता को इस योजना से लाभावान्वित नहीं किया जाएगा।

यह योजना तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 31.10.2008 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना की सूचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जावे।

आज्ञा से

(हस्ताक्षर)
(एम.एस. फगेरिया)
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर